



भारतीय लोकतन्त्र के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान के विविध आयाम हरकेश मीणा

सहायक आचार्य— राजनीति विज्ञान, श्रीमती नर्बदा देवी विहानी राजकीय

स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, नोहर ज़िला हनुमानगढ़ (राजस्थान) भारत

Received- 16.11.2018, Revised- 19.11.2018, Accepted - 24.11.2018 E-mail: aaryavart@gmail.com

सारांश : राजनीतिक लोकतन्त्र तभी सफल हो सकता है जब आर्थिक व सामाजिक समानता स्थापित हो। आर्थिक समानता अर्थात् समाज के प्रत्येक सदस्य को विकास की समस्त भौतिक सुविधाएँ मिले। लोगों के बीच ज्यादा आर्थिक असमानता नहीं हो। व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोशण नहीं किया जाये। अत्यधिक आर्थिक विशेषता में लोकतन्त्रीय राष्ट्र का निर्माण सम्भव नहीं है। इसके साथ-साथ सामाजिक पर्यावरण ऐसा हो कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक दृष्टि से समान माना जाये। इसके साथ न्याय में विलम्ब की स्थिति भी लोकतन्त्र के समक्ष एक चुनौती है। न्याय में विलम्ब अन्याय के समान है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी स्वयं को जनता का स्वामी मानते हैं जबकि लोकतन्त्र में उनको सेवाप्रदाता समझा जाता है तथा खाप पंचायत व पितृसत्तात्मक समाज ने भी लोकतन्त्र के समझ चुनौती खड़ी कर दी है। इसके अलावा अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण, सशक्त विषय का अभाव और नैतिक चरित्र में गिरावट आदि ने भी लोकतन्त्र के समक्ष चुनौती पैदा की है। यदि हमें इन चुनौतियों को दूर करना है तो आर्थिक व सामाजिक समानता स्थापित करनी होगी। शिक्षा, नैतिक चरित्र का विकास तथा कुछ कानूनों का निर्माण करना होगा।

कुंजीभूत शब्द- राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक, सामाजिक समानता, भौतिक सुविधाएँ, आर्थिक असमानता।

अब्राहम लिंकन ने कहा है कि 'लोकतन्त्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हैं, अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतन्त्र की इस परिभाषा को हम देखते हैं तो लोकतन्त्र में कोई दोष नजर नहीं आता। यह वह शासन होता है जिसमें जनता के हितों की रक्षा की जाती है। शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यह एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। किसी भी व्यवस्था में कुछ दोषों का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रयासों के द्वारा उन दोषों को दूर भी किया जा सकता है।

लोकतन्त्र की श्रेष्ठता सन्देह से परे है क्योंकि आज तक हमारे राजनीतिक विद्वान लोकतन्त्र से श्रेष्ठ शासन का सुझाव नहीं दे पाये। जो के गेलब्रेथ ने कहा है कि परिवार और सत्य सूर्य के प्रकाश और नाईट एगल की भाति लोकतन्त्र की श्रेष्ठता सन्देह से परे है। भारत की 15 वीं लोकसभा के लिए सम्पन्न चुनाव के उपरान्त दुनिया भर के नेताओं ने कहा कि हम भारतीय लोकतन्त्र को सलाम करते हैं। ब्रिटिश सांसद कीथ बाज व बैरीगार्डिनर जैसे ब्रिटिश सांसदों ने भारतीय लोकतन्त्र की तारीफ की वही अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी कहा कि यह देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र ही नहीं सबसे श्रेष्ठ लोकतन्त्र भी है। फिर भी वर्तमान में जब हम लोकतन्त्र की दशा देखते हैं तो लगता है कि इस व्यवस्था की श्रेष्ठता के समक्ष कुछ चुनौतियां पैदा हो गई हैं जिनमें जातिवाद, भाषावाद, साम्राद्याधिकता, नक्सलवाद, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, आर्थिक असमानता, राजनीति का अपराधीकरण व भ्रष्टाचार प्रमुख रूप से शामिल हैं।

जातिवाद हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को टिकट देने से पूर्व जाति विशेष के व्यक्ति को उस जगह से टिकट दिया जाता हैं जहां उस जाति के मतदाताओं की संख्या अधिक हों। जब चुनाव होता है तो सम्बन्धित उम्मीदवार उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की जातीय भावनाओं को उकसाता है और जाति के नाम पर वोट मांगता है। ऐसे में दुसरा उम्मीदवार उस जाति के विरोध के आधार पर वोट मांगता है। इससे लोगों के बीच में विद्वेष की भावना फैलती है। उम्मीदवार जीत कर चला जाता है। लेकिन लोगों के बीच कटुता की भावना बढ़ जाती है। लोग उम्मीदवार को अच्छाई व कुशल कार्यकर्ता होने के नाते वोट नहीं देते बल्कि जाति के आधार पर वोट देते हैं।

भारत एक बहुभाषी देश है जिसमें अनके प्रकार की बोलिया बोली जाती है यदि हम स्थानीय व क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़ दे तो भी भारत में प्रमुख रूप से प्रचलित भाषाओं की संख्या 18 है। चुनाव में अनेक राजनीतिक दल भाषा को चुनावी मुद्दा बनाते हैं। 1980 में एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया कि उर्दु को उसके प्राचीन सामाजिक महत्व के अनुरूप उचित स्थान दिया जावेगा। किसी दल विशेष के द्वारा किसी विशेष भाषा को समर्थन देने के आधार पर तो दुसरा राजनीतिक दल उसके विरोध के आधार पर वोट मांगता है। जिससे लोकतन्त्र को आधार पहुंचता है। लोग पिछले कार्यकाल में नेताओं के द्वारा किये गये कार्यों का ठीक ढग से मूल्यांकन नहीं कर पाते और स्थानीय मुद्दों में उलझकर रह जाते हैं।



साम्प्रदायिकता- साम्प्रदायिकता लोकतन्त्र की दुश्मन है क्योंकि इसमें विधटनकारी तत्वों को बढ़ावा मिलता है तथा मतदाता वहा अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाते जहा उन्हे करना चाहिए। ऐसे में यह लोकतन्त्र के लिए घातक सिद्धहोती है। भारत में सम्प्रदाय के आधार पर भी अनेक राजनीतिक दलों का उदय हुआ। यह सम्प्रदायिक दल पंथ के आधार पर उम्मीदवार खड़ा करते हैं। लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है। चुनाव से पूर्व सम्प्रदाय के प्रमुख से वोट मांगने जाते हैं। उनके वोट मांगने का आधार कोई विकास या सामाजिक कल्याण नहीं होता बल्कि पंथ होता है और लोग उस आधार पर वोट भी देते हैं। राजनीतिक दल वोट मांगने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं।

क्षेत्रवाद ने भी लोकतन्त्र को बड़ा आधार पहुचाया है। यह भी लोकतन्त्र के समक्ष बड़ी चुनौती है। इसके कारण लोगों की निष्ठा राष्ट्रीय नहीं बल्कि क्षेत्रीय हो जाती है। इस कारण लोग उस पार्टी के उम्मीदवार को चुनते हैं जो क्षेत्र विशेष पर ध्यान देते हैं। महाराष्ट्र व असम में ये भावना अति प्रबल है। वहा भूमि पुत्र की धारण के आधार पर लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है। महाराष्ट्र महाराष्ट्रवासियों के लिए, असम असमवासियों के लिए ऐसे नारे लगाये जाते हैं। एक क्षेत्रीय दल द्वारा इस आधार पर मुन्हाई में समय समय पर लोगों को भड़काकर अशान्ति फैलाई गई है।

आर्थिक असमानता- पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि “भुखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मुल्य नहीं होता” जो व्यक्ति अत्यधिक गरीब होता है वह मत के लिए नहीं बल्कि रोटी के लिए सोचता है। रोटी के लिए वह अपना मत बेच देता है और धनवान व्यक्ति उस मत को खरीद लेता है। इससे लोकतन्त्र को आधार पहुचता है। हॉब्सन ने कहा है कि धनियों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतन्त्र को भ्रष्ट कर देती है।

मजबूत विरोधी दल का अभाव- लोकतन्त्र में विरोधी दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शासक दल की कमियों को जनता के सामने प्रकट करने व मौका मिलने पर सत्ता हथियाना विरोधी दल का प्रमुख उद्देश्य होता है। यह तभी सम्भव है जब विपक्ष मजबूत हो। वर्तमान में भारत में सशक्त और मजबूत विपक्ष का अभाव है।

राजनीतिक अस्थिरता- राजनीतिक अस्थिरता भी लोकतन्त्र के लिए हानिकारक होती है। लोकतन्त्र तभी सफल होता है जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिले तथा एक बार सत्ता पर काबिज होने के बाद नियत समय तक सरकार चलाएँ। राजनीतिक अस्थिरता के कारण कोई भी कार्य ढग से पूर्ण नहीं होता तथा देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है।

बहुदलीय प्रणाली भी लोकतन्त्र के लिए एक चुनौती बन जाती है क्योंकि राजनीतिक दलों में सहयोग का अभाव रहता है। सारे राजनीतिक दल चाहते हैं कि सत्ता में मुख्य भूमिका हमारी रहे इस कारण उनके बीच आपस में खींच तान चलती रहती है जो कि लोकतन्त्र के लिए घातक है।

दल बदल- दल बदल की नीति लोकतन्त्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इसके कारण जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है क्योंकि वह वोट किसी और को देती है, सरकार किसी ओर की बन जाती है। दल बदल के कारण कई बार चुनी हुई सरकार गिर जाती है। परिणामस्वरूप दुबारा चुनाव करवाने पड़ते हैं। चुनावों में भारी पैसा खर्च होता है। जिससे देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है।

नैतिक मूल्यों में पतन- नैतिक मूल्यों में पतन के कारण मिलावट, चोरी, कालाबाजारी होती है। नौकरशाह, नेता, उघोगपति आदि सब भ्रष्टचार को ही शिश्टाचार मानने लग जाते हैं जो कि लोकतन्त्र के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है।

राजनीतिक अपराधिकरण- एक विद्वान ने कहा है कि राजनीति दुष्टों को अतिम आश्रय स्थल होता है। लेकिन हमारे कुछ नेताओं को देखकर लगता है कि राजनीति दुष्टों का प्रथम आश्रय स्थल बन गया है। संसद व विधानसभाओं में आपराधिक छवि वालो लोगों को देखकर तो यही लगता है। संसद व विधान सभा में चप्पल जुते चलना, कुर्सिया उठा कर फैकना, हाथापाई करना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, सासदों व विधायकों को खरीदना, सदन में नोटों की गङ्डियाँ लहराना, लोकतन्त्र के नाम पर कलंक है। आज हालात इतने बद्तर हो गये हैं कि कभी जो नेता लोगों को डराने धमकाने के लिए जिन बाहुबलिया का सहारा लेते थे वे ही बाहुबली संसद व विधानसभाओं में नजर आने लगे हैं। राजनीति का अपराधीकरण का अत्यधिक निन्दनीय रूप चुनाव के समय उभर कर सामने आता है। जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग चुनाव में खड़े होते हैं तो जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। राजनीति में जाने के लिए किसी शैक्षिक योग्यता, चरित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती जबकि छोटी सी सरकारी सेवा में जाने के लिए व्यक्ति को चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ता है।

15 वीं लोक सभा के चुनाव में जो सदस्य चुनाव जीतकर संसद में पहुँचे हैं उनमें से कई सांसद ऐसे हैं जिनके नाम देश के थानों में मामले दर्ज हैं। जिनमे कमोबेश सभी प्रमुख पार्टीयों के सांसद शामिल हैं।

इस दूषित व गन्दी राजनीति का प्रमाव छात्र राजनीति पर भी पड़ता है। राष्ट्रीय परिदृश्य की परछायी विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के छात्र चुनाव में भी नजर आती है। छात्र संघ चुनाव में सुधार के लिए गठित जे एम लिंगदोह समिति की



रिपोर्ट में कहा गया है कि छात्र संघ चुनाव में हिंसा होती है।

यह आज के छात्र परिसर की राजनीति है जहाँ कल के नेता तैयार होते हैं। 1995 में बोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जिसमें स्पष्ट स्वीकार किया है कि राजनीतिज्ञों व अपराधियों में गठजोड़ है। इस गठजोड़ में सभी स्तरों पर सरकारी तन्त्र को बेबश कर दिया है।

संसद व विधान सभा के चुनाव में धनबल व भुजबल की बढ़ती भूमिका चिन्ता का विषय है। चुनाव में बढ़ता धनबल व भुजबल भ्रष्टाचार रूपी पौधे के लिए खाद का काम करता है। राजनीतिक अपराधिकरण को सुधारने के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल के सदस्य को दृढ़ संकल्प लेना होगा कि वह किसी अपराधिक व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे तथा स्वयं को आपराधिक तत्वों से दूर रखेंगे। उन्हे किसी प्रकार संरक्षण नहीं देंगे।

भ्रष्टाचार- लोकतन्त्र के समक्ष भ्रष्टाचार भी एक मुख्य चुनौती है। राजनीति में धनबल का खेल खेला जाता है। जब राजनेता निर्वाचित होते हैं वे उन लोगों की सहायता करते हैं जिन्होंने उनको चुनाव जिताने में मदद की है। भ्रष्ट राजनेता जनता को मुर्ख बनाते हैं और अनेक अनेतिक कार्य करते रहते हैं।

भारत में भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ है। इस बात का अन्दराजा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इस बयान से लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि केन्द्र गरीब की सहायता के लिए एक रूपया भेजता है तो गरीब के पास सिर्फ 15 पैसे पहुँचते हैं।

भ्रष्टाचार हमारे खुन में कैन्सर की तरह फैल गया है जिससे दुर करने के लिए कठोर उपायों की जरूरत है। जिन व्यक्तियों के उपर गम्भीर अपराधिक मामले चल रहे हैं उन्हे किसी भी राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार नहीं बनाया जाना चाहिए। जनता को भी इतना जागरूक होना चाहिए कि वो किसी भी सूरत में भ्रष्ट व्यक्तियों को बोट न दे। हमारे नेतृत्व को इस और प्राथमिकता से ध्यान देते हुए ऐसे प्रयास करने चाहिए कि देश में से भ्रष्टाचार मिट जाये। अब भ्रष्टाचार को दूर करने का समय आ गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत जो अन्ना हजारे ने की है वो रुकनी नहीं चाहिए। हमारे पाक साफ व चरित्रवान युवाओं को आगे आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोले उसको सुरक्षा देना सरकार की प्रथम जिम्मेदारी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना चाहिए। शिक्षा द्वारा आदर्श नागरिक बनाये जाने चाहिए। हमारी शिक्षा ऐसी हो

जिसमें नैतिक चरित्र का निर्माण हो।

पब्लिक सर्विस डिलवरी गारंटी एकट भी एक सराहनीय कदम है। इससे भी भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलेगी। जन लोकपाल बिल को भी और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लित्त पाया जाये उसे आजीवन कारावास व फॉसी तक की भी सजा होनी चाहिए ताकि इस लोकतन्त्र को सुरक्षित रखा जा सके।

निष्कर्ष- भारतीय लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि दल बदल पर रोक लगनी चाहिए तथा दल बदल करने वालों विधायक, सासद की सदस्यता तुरन्त समाप्त कर देनी चाहिए तथा ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए कि एक सशक्त और मजबूत विपक्ष उभर कर सामने आये और उसमें उत्तरदायित्व की भावना मौजूद हो। विपक्ष ऐसा होना चाहिए कि गलत कार्यों के लिए सरकार की आलोचना करे व सही कार्य के लिए सरकार का सहयोग करें। नौकरशाही में इस भावना का विकास करना होगा कि वे जनता के स्वामी न होकर सेवक हैं। मतदाताओं शिक्षित होना आवश्यक है उनमें इनती राजनीतिक चेतना होनी चाहिए कि सही गलत को समझ कर हमेशा सही के पक्ष में मतदान करें। दागी व अपराध प्रवृत्तियों के लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। देश में सामाजिक व आर्थिक समानता के प्रयास करने चाहिए ताकि लोकतन्त्र सुदृढ़ हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. हिन्दूस्तान 18 मई 2009.
2. डॉ. पुखराज जैन, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
3. इण्डिया टूडे 3 जून 2009 (स्त्रोत ऐसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिसर्च, नेशनल इलेक्शन वाच)।
4. इण्डिया टूडे 27 फरवरी 2008.
5. इण्डिया टूडे 3 जून 2009.
6. राजस्थान पत्रिका, श्रीगंगानगर।
7. मानचन्द खण्डेला, भारतीय राजनीति सिद्धान्त और व्यवहार, पोइन्ट पब्लिशर्स जयपुर।
8. डॉ. आर एन त्रिवेदी, डॉ. एम पी राय, भारतीय सरकार एवं राजनीति, कॉलेज बुक डिपो जयपुर।
9. रामजी सिंह, राष्ट्रीयता धर्म और राजनीति, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।
10. आर पी जोशी, आर एस आड्डा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पुनर्रचना के विविध आयाम, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर।
